

47/2009 पूर्णमल - टूटीदात

दिनांक	आज्ञा पत्र	
19-2-21	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलान्त से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फौजदारी नम्बर होकर नम्बर से कम होकर वाद तर्क तक भील दाखिल दफतर हो।</p> <p>मुद्रित अधिकारी एवं पट्टेन राजरव अपील अधिकारी सीकर</p>	Not press RS